अनुस्मारक–01

736/10 02/08/2024

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, फोन / फैक्स : 01376–232077,
टिहरी वन प्रभाग, ई:मेल :
नई टिहरी। dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 3672 / 12–1 नई टिहरी, दिनांक– 12/06/ 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
घनसाली, टिहरी गढवाल

विषयः– **जनपद–टिहरी में चमियाला–इन्द्रवाणगॉव–कांगडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697 है0 आरक्षित एव सिविल वन भूमि में एन0पी0वी0 की संशोधित दरो के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि की मांग सम्बन्धी। (online no.FP/UK/ROAD/10467/2015).**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण , इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का कार्यालय पत्रांक–2404 / 1जी–5057(टिहरी सै0स्वी0अनु0), दिनांक–24.05.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–177 / 12–1, दिनांक– 21.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है वन भूमि हस्तान्तरण के ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धन्तिक स्वीकृति निर्गत हुये 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के पत्रांक–05–03 / 2011–एफ0सी0(Vol-I), दिनांक–06–01–2022 द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा–निर्देशो के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरो के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र जारी कर प्रस्तावक विभाग से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने के निर्देश प्राप्त हुये है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक– 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 58 / 2015 / एफ0सी0 / 982, दिनांक–14.08.2015 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त विषयगत मोटर मार्ग हेतु एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार हैः–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	=	V^{th}
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.3(30%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	4.697
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	47,21,471.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	–30,85,929.00
7.	**वर्तमानमें देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)**	–	**16,35,542.00**

(47,21,471.00 – 30,85,929.00) सोलह लाख पैतीस हजार पाच सौ बायलीस रू0 मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है। अतः उपरोक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करते हुये चालान की प्रति एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन एवं ऑफलाईन के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण को ससमय विधिवत् स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

AE 3/7/24